

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2016/वैशाख 30, 1938

No. 363]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2016

सं. 26/2016-सेवा कर

सा.का.नि. 538(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) और धारा (5 क) और उपधारा (2 क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 83 की उपधारा (5 क) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25 /2012 सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012, सा.का. नि. 467 (अ), तारीख 20 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि 48 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के परियोजनों से एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रविष्टि के प्रावधान निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

- (क) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 घ के खंड (क) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट सेवाएं।
- (ख) अचल सम्पत्तियों को किराये पर देकर की जाने वाली सेवाएं।

[फा सं. 334/8/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 20 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन 22/2016-सेवाकर, तारीख 13 अप्रैल, 2016, सा.का.नि. 419, तारीख 13 अप्रैल, 2016 को किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2016

No. 26/2016-Service Tax

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and sub-section (2A) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012, namely:—

In the said notification, in Entry 48, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“Explanation.- For the purposes of this entry, it is hereby clarified that the provisions of this entry shall not be applicable to the following services, namely:—

- (a) services specified in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of section 66D of the Finance Act, 1994;
- (b) services by way of renting of immovable property.”.

[F. No. 334/8/2016 -TRU]

MOHIT TIWARI, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. 25/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012 and was last amended *vide* Notification number 22/2016 - Service Tax, dated the 13th April, 2016 *vide* number G.S.R. 419(E), dated the 13th April, 2016.